इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ़ 27, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

संशोधन

क्र. एफ-3-6-2013-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति आवास योजना नियम 2013 की कंडिका-5.1 एवं 5.2 में निम्नानुसार संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रभावशील किया जाता है :—

नियम 5.1 ''योजनान्तर्गत लिये जाने वाले कार्यों की व्यय सीमा तथा उल्लेखित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु इन नियमों के अन्तर्गत अधिकतम राशि रुपये 45,000/- (रुपये पैंतालीस हजार मात्र) अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी.''

के स्थान पर

"आवास निर्माण हेतु अनुदान की राशि रुपये 70,000/- (रुपये सत्तर हजार मात्र) दी जायेगी. जिसमें से रुपये 60,000/-(रुपये साठ हजार मात्र) की राशि अनुदान के रूप में दी जावेगी तथा रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) के बराबर हितग्राही का अंशदान श्रम के रूप में होगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

नियम 5.2 "योजनान्तर्गत अनुदान राशि की अधिकतम इकाई लागत सीमा निम्नानुसार होगी :—

आवास की लागत रुपये 55,000/- (राशि रुपये पचपन हजार) मात्र होगी, जो अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी. 45,000/- (राशि रुपये पैंतालीस हजार) मात्र का अनुदान होगा और राशि रुपये 10,000/- के बराबर हितग्राही का श्रम के रूप में अनुदान होगा. किश्तवार भुगतान की जाने वाली राशि में पूर्व किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी किश्त मुक्त की जायेगी. जनपद पंचायत द्वारा संबंधित हितग्राही के खाते में निम्नानुसार राशि जमा की जायेगी :—

(अ) आवास स्वीकृत होने पर रु. 15,000/- (प्रथम किश्त)
(ब) छत स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर रु. 15,000/- (द्वितीय किश्त)
(स) आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर रु. 15,000/- (तृतीय किश्त)"

के स्थान पर

उक्त अनुदान राशि निम्नानुसार तीन किश्तों में हितग्राही को प्रदाय की जावेगी :—

(अ) आवास स्वीकृत होने पर रु. 20,000/- (प्रथम किश्त)
(ब) छत स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर छत निर्माण के पूर्व रु. 20,000/- (द्वितीय किश्त)
(स) आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर रु. 20,000/- (तृतीय किश्त)" प्रतिस्थापित किया जाता है."

अन्य समस्त नियम यथावत रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि डफरिया, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म.-2014-2348.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार योजना 2004 में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को समेकित कर कुछ संशोधन के साथ एतद्द्वारा **मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2004** अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना 2004

(1) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(i) यह योजना मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के लिये मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना 2003 कहलाएगी.

(ii) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी,

(iii) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) तहत मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 279 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी,

(iv) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी है.

(2) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "**अधिनियम**" अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, (1996 का 27) अभिप्रेत है,

(ii) "**बोर्ड**" बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अभिप्रेत है,

(iii) "**सचिव**" सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है,

(iv) "**दुर्घटना**" दुर्घटना से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते-जाते समय अथवा किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने से है,

(v) "**आश्रित**" आश्रित का आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह मृतक क्यों न हो, आश्रित माना जावेगा—

1. पत्नि अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
2. बच्चे
3. पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
4. माता-पिता.

(vi) "**परिवार**" का आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) बच्चे जो विवाहित अथवा अविवाहित, माता-पिता, मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे, निर्माण श्रमिक के परिवार के रूप में सम्मिलित माने जायें,

(vii) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वाचन-उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओं से परिभाषित नहीं किये किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है.

(3) **योजना का विवरण**—

प्रस्तावना.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 (1) (क) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1) के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि तथा अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी, इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचयपत्रधारी निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में देय होगी.

(4) **पात्रता**—बोर्ड द्वारा 18 से 60 वर्ष की उम्र के हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत पंजीयन होगा, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे.

(5) **उत्तराधिकारी.**—परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक की पत्नि/पति (यथास्थिति अनुसार) तथा इसके (Spouse) नहीं होने पर पुत्र तथा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां. किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नि या पुत्र/पुत्री न हो तो उसके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा. इन सब के नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा.

(6) **अंत्येष्टि सहायता**—हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात् रु. 3000 अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी.

(7) **अनुग्रह राशि**—पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी,—

1. सामान्य मृत्यु की दशा में—

(i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर रु. 75 हजार

(ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रु. 25 हजार

2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 1 लाख
3. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रु. 75 हजार

(8) इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना तथा अपंगता के संबंध में स्पष्ट प्रमाण लिया जाये.

(9) मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे. सक्षम अधिकारी का मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र देखकर प्रमाणित छायाप्रति अभिलेख में रखी जाये, तथा मृतक का म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करा लिया जाये.

(10) मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी से प्राप्त आवेदन का परीक्षण मृतक की आयु का सत्यापन कर 1 माह की अवधि में राशि का भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को समान रूप से किया जाये. यदि मृतक दुर्घटना/मृत्यु के पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि में न्यूनतम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं रहा हो तो ऐसे प्रकरणों में अनुग्रह राशि स्वीकृति नहीं की जायेगी.

(11) **अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र.**—अंत्येष्टि राशि तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नहीं की जायेगी.

(12) **सक्षम अधिकारी.**—अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति तथा अपील के लिये सक्षम अधिकारी निम्न सारणी अनुसार होंगे :—

सारणी

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र (अ) आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
		(ब) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	अन्त्येष्टि सहायता	ग्राम पंचायत	अंतिम संस्कार के दिन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	7 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
		शहरी क्षेत्र				
		(अ) नगरपालिक निगम.	अंतिम संस्कार के दिन.	(अ) कलेक्टर	7 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
		(ब) नगरपालिका/ नगर परिषद्.	—तदैव—	(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	7 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(13) **विसंगति का निराकरण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में अध्यक्ष म. प्र. भवन निर्माण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जाएगा.

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म.-2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.—1675, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 भाग-4 (ग) द्वारा "**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012**" यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक 2014-867, दिनांक 14 मार्च, 2014 पूर्व में प्रकाशित की गई है, में राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन —II

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. बिन्दु क्रमांक 2 में शब्द एवं कोष्ठक "**(व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता अर्थात् वीटीपी को छोड़कर)**" विलोपित जाता है.

2. बिन्दू क्रमांक 4 के अनुच्छेद (घ)—"व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता (Vocational Training Providers अर्थात् VTP) संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रात की जायेगी." के स्थान पर.

(घ) "व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता (Vocational Training Providers अर्थात् VTP) संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण शुल्क श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व ट्रेडवार निर्धारित शुल्क राशि के अनुरूप मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से प्राप्त की जायेगी.".

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म.2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-2140-13, दिनांक 16 अगस्त 2013 भाग-4 (ग) द्वारा "**प्रसूति सहायता योजना, 2004**" पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. **कंण्डिका 4.2**—प्रसूति के उपरांत हिताधिकारी महिला श्रमिक को रुपये 1 हजार पौष्टिक आहार हेतु मण्डल द्वारा देय होगा.

के स्थान पर

प्रतिस्थापित किया जाता है.

1. **कण्डिका 4.2**—प्रसूति के उपरांत हिताधिकारी महिला श्रमिक को शहरी क्षेत्र के लिये राशि रुपये 1,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये राशि रुपये 1,400 पौष्टिक आहार हेतु मण्डल द्वारा देय होगी.

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म.-2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-12-491, दिनांक 15 जून, 2012 भाग-1 द्वारा "**विवाह सहायता योजना, 2004**" पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. **कंण्डिका 6.1**—पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये 15 हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी.

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये 13 हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रुपये 2 हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी.

के स्थान पर

प्रतिस्थापित किया जाता है.

1. **कण्डिका 6.1**—पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये 25 हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी.

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये 23 हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रुपये 2 हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी.

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म.-2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-1081, दिनांक 27 सितम्बर 2013 भाग-4 (ग) द्वारा **''पेन्शन सहायता योजना, 2013''** पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ग **''योजना का विवरण एवं पात्रता''** में शब्दों **''न्युनतम छः वर्ष''** के स्थान पर **''न्युनतम पांच वर्ष''** प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कंडिका घ **''पात्रता''** में **''न्युनतम छः वर्ष''** के स्थान पर **''न्युनतम पांच वर्ष''** प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कंडिका च(2) ''मण्डल द्वारा योजना में प्रतिवर्ष प्रति हितग्राही प्रथम 5 वर्ष तक रु. 500 प्रतिवर्ष अंशदान प्रदान किया जाएगा.'' **के स्थान पर**

''मण्डल द्वारा योजना में प्रतिवर्ष प्रति हितग्राही प्रथम 5 वर्ष तक रु. 1000 अंशदान प्रदान किया जाएगा.'' **प्रतिस्थापित किया जाता है.**

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म-2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-2140-13, दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा सुपर 500 योजना (कक्षा 10वीं) पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. **कण्डिका क**—''यह योजना सुपर 500 योजना (कक्षा 10) कहलायेगी.'' **के स्थान पर** ''यह योजना सुपर 5000 योजना (कक्षा 10) कहलाएगी'' **प्रतिस्थापित किया जाता है.**

2. **कंडिका ड़—चयन** ''योजना के अंतर्गत मण्डल स्तर पर वैध पंजीकृत हितग्राही की ऐसी 500 संतानों को, जो म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय में सर्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है'' **के स्थान पर**

''योजना के अंतर्गत मण्डल अंतर्गत वैध पंजीकृत हितग्राही की संतानों को म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए संपूर्ण राज्य की मेरिट में सर्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है.'' **प्रतिस्थापित किया जाता है.**

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म-2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-2140-13, दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा सुपर 500 योजना (कक्षा 12) पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. **कण्डिका क**—''यह योजना सुपर 500 योजना (कक्षा 12) कहलाएगी.'' **के स्थान पर** ''यह योजना सुपर 5000 योजना (कक्षा 12) कहलाएगी'' **प्रतिस्थापित किया जाता है.**

2. **कंडिका ड़—चयन** ''योजना के अंतर्गत मण्डल स्तर पर वैध पंजीकृत हितग्राही की ऐसी 500 संतानों को, जो म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित (कक्षा 12) की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय में सर्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है'' **के स्थान पर**

''योजना के अंतर्गत मण्डल अंतर्गत वैध पंजीकृत हितग्राही की संतानों को म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित (कक्षा 12वीं) की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय में सर्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है.'' **प्रतिस्थापित किया जाता है.**

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म-2014-2348.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-2140-13, दिनांक 16 अगस्त, 2013 भाग—4 (ग) द्वारा ''**व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन अनुदान योजना, 2013**'' पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. **कण्डिका (7) च—योजना में हितलाभ.**—योजना के अंतर्गत वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानों के मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर अध्ययन अनुदान के रूप में एक बार 10 हजार की राशि एकमुश्त अथवा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के पश्चात् एक वर्ष बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अध्ययन अनुदान के रूप में एक बार रुपये 7 हजार की राशि एकमुश्त प्रदान की जायेगी.

के स्थान पर

वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानों के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने/प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर अध्ययन अनुदान के रूप में एक बार निम्नानुसार अध्ययन अनुदान एकमुश्त प्रदान किया जायेगा.

1. मेडिकल कालेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर राशि रुपये 20,000
2. डेण्टल कॉलेज/फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने पर राशि रुपये 15,000

3. नर्सिंग कालेज/पेरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने पर राशि रुपये 10,000
4. इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राशि रुपये 15,000
5. इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर राशि रुपये 10,000
6. आय.टी.आय. में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर राशि रुपये 5,000

प्रतिस्थापित किया जाता है.

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र.-भ.स.क.म.म-2014-2348.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, मेघावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार योजना 2004 में उल्लेखित प्रसूविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को समेकित कर एतद्द्वारा कुछ संशोधन के साथ **मेघावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार योजना 2004** अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार योजना 2004

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू करना**—1.1 यह योजना मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार योजना 2004 कहलाएगी.

1.2 यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशाली होगी.

1.3 यह योजना अधिनियम की धारा 22(1) (ड़) सहपठित नियम—2002 के नियम 279 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी.

1.4 यह योजना उन निर्माण कर्मकार, जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में लगे है तथा अधिनियम की धारा 12 तथा नियम 2002 के नियम 272(4) के अंतर्गत कम से कम 1 वर्ष से अभिदाय का संदाय करते हुये पंजीबद्ध है एवं अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी है, के शिक्षारत मेधावी पुत्र/पुत्रियों को लाभान्वित करने हेतु होगी.

2. **परिभाषाऐं**—इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

2.1 अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है.

2.2 नियम 2002 का आशय म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है.

2.3 बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित ''म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल'' से अभिप्रेत है.

2.4 सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

2.5 निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय-पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

2.6 संतान से आशय आश्रित अविवाहित पुत्र/पुत्री से है.

2.7 ''मेधावी छात्र/छात्राओं'' से आशय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीबद्ध हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उन पुत्र/पुत्रियों से है, जिन्होंने पांचवी बोर्ड परीक्षा से स्नात्कोत्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की किसी भी स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो.

क्र.	व्यावसायिक परीक्षा का स्तर	पुरस्कार राशि	
		छात्र	छात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में चयन होने पर	रु. 4,000	रु. 4,000
2.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में चयन होने पर	रु. 6,000	रु. 6,000

5. **अपात्रता**.—5.1 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पालीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात इस योजनांतर्गत ''नगद पुरुस्कार'' राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 1 वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, 1 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोकने की स्थिति में नगद पुरुस्कार की राशि वापस जमा करनी होगी.

5.2 ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय/संस्था की किसी योजनांतर्गत ''नगद पुरुस्कार'' राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिये हितकर/लाभप्रद हो, किंतु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एकसाथ लाभ नहीं उठा सकता है.

6. **आवेदन स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया**.—6.1कक्षा 5वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये स्वीकृति प्रक्रिया—योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा. प्राप्त आवेदन पर मेधावी पुत्र/पुत्रियों को नगद पुरुस्कार की स्वीकृति हेतु संकुल केन्द्र के अधीन शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये निम्नानुसार स्वीकृतकर्ता/वितरणकर्ता अधिकारी निर्धारित किये गये हैं—

क्रमांक	शाला स्तर	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	वितरण अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शासकीय माध्यमिक शाला व समीपस्थ संबद्ध की गई प्राथमिक शालाऐं.	प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक शाला.	संकुल प्राचार्य, शासकीय उ.मा. विद्यालय.
2	शासकीय हाई स्कूल/उ.मा.वि.	शाला प्राचार्य	
3	अशासकीय शालाऐं (कक्षा 1 से 12वीं तक).	संकुल प्राचार्य, शासकीय उ.मा. विद्यालय.	

स्वीकृतकर्ता प्राचार्य/संस्थान प्रमुख द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची छात्र के पालक के मण्डल के पंजीयन/परिचय-पत्र क्रमांक के विवरण के साथ संधारित की जायेगी. स्वीकृत राशि छात्रों के बैंक खातों में जमा की जायेगी.

6.2 **महाविद्यालय में अध्ययनरत विधार्थियों के लिये स्वीकृति प्रक्रिया**—योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा. प्राप्त आवेदन पर मेधावी पुत्र/पुत्रियों को नगद पुरुस्कार की स्वीकृति शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जायेगी. शासकीय मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृति दी जावेगी. स्वीकृतकर्ता प्राचार्य/संस्थान प्रमुख छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची छात्र के पालक के मण्डल के पंजीयन/परिचय-पत्र क्रमांक के विवरण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर निगम आयुक्त को प्रेषित की जाएगी. पात्रता के संबंध में प्रेषित सूची का परीक्षण उपरांत कुल स्वीकृत राशि का एकाउंट पेयी चैक जारी किया जाएगा तत्पश्चात् प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रों के बैंक खातों में नगद पुरुस्कार राशि जमा की जाएगी तथा तत्संबंधी सूचना संबंधित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी.

6.3 **मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार राशि स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा.—**

I. छात्र/छात्रा जिसको नगद पुरुस्कार राशि स्वीकृत की जानी है वह मण्डल द्वारा पंजीकृत एवं परिचय-पत्रधारी हिताधिकारी की पुत्र/पुत्री है.

II. किसी अन्य संस्था/शासकीय विभाग/योजनांतर्गत ऐसी कोई नगद पुरुस्कार राशि प्राप्त नहीं कर रहा/रही है.

6.4 **मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार राशि एकमुश्त यथा संभव 31 दिसम्बर तक प्रदान की जाएगी.**

7. **विसंगति का निराकरण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय इस संबंध में अंतिम माना जायेगा.

अजय नेमा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. क्र. 2348.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27-9-2013 में प्रकाशित मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना, 2013 में आवश्यक संशोधन कर मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा संशोधन सहित मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना, 2013 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है :—

(1) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,**—(i) यह योजना मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना, 2013 कहलाएगी.

(ii) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी,

(iii) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

(iv) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अन्तर्गत न्यूनतम पांच वर्ष से निरंतर हिताधिकारी परिचय-पत्रधारी निर्माण श्रमिक है तथा योजनान्तर्गत पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं.

(2) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) **अधिनियम** का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से हैं,

(ii) **नियम** का आशय म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002 से है.

(iii) **बोर्ड या मंडल** से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से है.

(iv) **सचिव** से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से है,

(v) **निर्माण श्रमिक/कर्मकार** से आशय समस्त वैद्य परिचय-पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से है.

(vi) **आश्रित** से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार परिवार के सदस्य को आश्रित माना जाएगा—

(1) पत्नी अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार)
(2) आश्रित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा विधवा/परित्यक्ता आश्रित पुत्री
(3) आश्रित माता एवं पिता

(vii) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वाचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

3. **योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्माण श्रमिकों की पात्रता की शर्तें.**—प्रथम चरण में प्रदेश के 14 नगरीय निकायों—ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, रतलाम, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन में निवासरत ऐसे निर्माण श्रमिक, इस योजना में पत्र हितग्राही होंगे, जो कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की द्वारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 272 के अन्तर्गत विगत लगातार 5 वर्षों से संबंधित नगरीय निकाय में निरंतर हिताधिकारी परिचय-पत्रधारी निर्माण श्रमिक है तथा निम्नानुसार अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं—

(i) जिन्होंने शासन की किसी अनुदान योजना में आवास का लाभ प्राप्त नहीं किया हो.

(ii) जिनके स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्य के नाम पर आवास न हो.

अथवा

स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्य के नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में मात्र कच्चा मकान (झोपड़ी) हो.

(iii) आवासीय इकाई हेतु स्वयं के अंशदान की राशि प्रदान करने व वांछित ऋण लेने हेतु सहमत हों.

4. **चयन.**—मण्डल के पात्रताधारी पंजीकृत निर्माण श्रमिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित जिला स्तरीय श्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर अनुदान हेतु चयनित किये जायेंगे.

5. **योजना में हितलाभ.**—(i) निर्माण श्रमिक द्वारा अधिकतम रुपये 7.50 लाख तक की लागत का आवासीय निर्माण किये जाने हेतु कम से कम 50 प्रतिशत राशि बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेने की स्थिति में मण्डल द्वारा निर्माण कार्य के अंतिम चरण में श्रमिक के ऋण खाते में राशि रुपये 1 लाख का अनुदान दिया जायेगा.

(ii) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण तथा मण्डल अनुदान के अतिरिक्त आवासीय इकाई के मूल्य की शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जायेगी.

7. **पदाभिहित अधिकारी.**—योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी जिला स्तरीय श्रम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) होंगे.

8. **योजना का पर्यवेक्षण.**—मण्डल के हितग्राहियों के लिये योजना का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा किया जायेगा.

9. **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों एवं हितलाभ के प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा इस संबंध में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का निर्णय अंति होगा.

अजय नेमा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.